26/12/22 वकील वादी प्रार्थी मय स्वयं, प्रतिवादी
उपस्थित/अनुपस्थित/प्रार्थना ... [illegible]
अधिक ... [illegible] शिथिकाओं में पत्रावली है
पर है। अतः पत्रावली वास्ते ... पेश हो। पुकार
दिनांक 7.2.24

07/2/24 वकील वादी प्रार्थी मय स्वयं, प्रतिवादी
उपस्थित/अनुपस्थित/प्रार्थना पत्र
अधिक ... शेष कार्य में व्यस्त
पर है। अ... वास्ते ... पुकार
दिनांक 21.3.24

21.3.24 वकील वादी प्रार्थी मय स्वयं, प्रतिवादी
उपस्थित/अनुपस्थित/प्रार्थना पत्र
अधिक है महोदय ... पत्रावली है
पर है। अतः पत्रावली वास्ते ... पेश हो। पुकार
दिनांक 15/5/24

15.05.24 आज यह पत्रा० पेश हुई बमुलाहजा पक्षकारान अपना बहस सुनी गयी वास्ते आदेश पत्रा० दि० 31/05/24 को पेश हो।

31/05/24 आज यह पत्रावली पेश हुई बमुलाहजा पक्षकारान उप० / प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। [illegible] पृथक से लिखाया जाकर [illegible] है। पत्रावली फैसल [illegible] होकर नकल से [illegible] बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन [illegible])
उपखण्ड [illegible]
भुसावर (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 08 / 24 दायर दिनांक: 20.06.23

जीसीएमएस नं. 2023 / 195

1.इन्द्रदत्त, 2.करनसिंह, 3.प्रेमसिंह, 4.विजयसिंह, 5.विष्णु पुत्रान श्री रामलाल, 6.प्रेम पत्नि रामलाल, 7. रामस्वरूप पुत्र प्रभू, 8.चन्द्रकला पत्नि शिवचरन, 9.भूपेन्द्र, 10.जीतेन्द्र पुत्रान श्री शिवचरन समस्त जातियान जाटव नि. टीटोरीपुरा, तह. भुसावर (भरतपुर) राज.

—प्रार्थीगण

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर, जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी
अन्तर्गत धारा 111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता– 1.श्री सुरेन्द्र चौधरी —प्रार्थीगण
2.पैरोकार सरकार —अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 31.05.2024

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 210 रकबा 0.39 हैक्टे. वाके ग्राम रामनगर तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075 लगायत 2078 में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। और इसी प्रकार से काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है।

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी की पैमाईश कराने की लिए अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अप्रार्थी ने हल्का पटवारी गौगेरा से पैमाइश कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर हल्का पटवारी, अप्रार्थी के आदेश दिनांक 24.05.2023 की अनुपालना हल्का पटवारी गौगेरा द्वारा प्रा. पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आ.ख.नं. 210 रकबा 0.39 हैक्टे. का सीमाज्ञान कराया गया। तथा मौके पर उक्त आराजी की सीमायें चिन्हित की गई। हल्का पटवारी गौगेरा द्वारा चिन्हित की गई सीमाओं में निशानात कायम कर दिये गये थे।

हल्का पटवारी गौगेरा द्वारा प्रा. पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आ.ख.नं. 210 रकबा 0.39 हैक्टे. के संबंध में दिनांक 07.06.2023 को की गई पैमाइश के आधार पर दिनांक 14.06.2023 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के कार्यालय जाकर अप्रार्थी से पत्थरगढ़ी कराने से इंकार कर दिया। तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के समक्ष आवेदन पत्र पेश करने व आदेश लाने के लिए कह दिया। जिस पर प्रा. पत्र बिना किसी देरी के श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, भुसावर द्वारा दिनांक 07.06.2023 को की गई पैमाईश के अनुसार ख.नं. 210 रकबा 0.39 हैक्टे. वाके ग्राम रामनगर गौगेरा की पत्थरगढ़ी कराये जाने बाबत आदेश दिये जाने की कृपा करें।

हमने प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक कराई गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रा. पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि आ.ख. नं. 210 रकबा 0.39 हैक्टे. वाके ग्राम रामनगर की पैमाईश दिनांक 07.06.2023 को प्रार्थीगण की मौजूदगी में कराई जाकर निशानात कायम किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं तहसीलदार, भुसावर के जवाब का अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 210 रकबा 0.39 हैक्टे. वाके ग्राम रामनगर तह. भुसावर की आराजी को पूर्व में दिनांक 07.06.2023 को निर्धारित सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी कर मुकाम कायम किये जावें। साथ ही तहसीलदार, भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि वक्त पत्थरगढ़ी स्वयं मौके पर उपस्थित रहें। यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो, तो नियमानुसार सक्षम अधिकारी से पुलिस इमदाद अपने स्तर से प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)